राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

कमांकः–डीसी / डी–3 / श्रीगंगानगर– 95 / 2015 / दिनांक

// आदेश //

औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्री रामपाल ने दिनांक 25.04.2014 को मिली सूचना के आधार पर फर्म **मै0 गुरू गोविन्द मेडिकोज शॉप** नं. 1, **बस स्टैण्ड के पीछे**, नेहरू पार्क के पास, **श्रीगंगानगर** (राज0) का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अन्य तथ्यों के अलावा एन.डी.पी.एस. घटक युक्त 06 प्रकार की औषधियॉ संग्रहित पाई गई। जिनके क्रय रिकार्ड प्रस्तुत नही करनें पर फार्म नं0 15 में फ्रीज किया गया तथा बाद में उन्हे नियमानुसार फार्म नं0 16 में सीज भी किया गया।

आज दिनांक **24.06.2015 को श्री रामपाल**, औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर मेरें समक्ष उपस्थित हुऐ, उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेजो का अध्ययन एवं मनन करने तथा अनवेषण के बिन्दूओं पर चर्चा करनें के पश्चात फर्म **मैसर्स गुरू गोविन्द मेडिकोज**, शॉप नं. 1, **बस स्टैण्ड के पीछे, नेहरू पार्क के पास, श्रीगंगानगर (राज0)** द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन करना भली भाती साबित पाये जाने पर नियम 51(5) के तहत श्री रामपाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष हस्ताक्षर कर समस्त दोषियों के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुदेश दिये जाते है।

ह0

(के0 जयवन्त)

कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं

औषधि नियंत्रक

राज0 जयपुर

कमांकः–डीसी / डी–3 / श्रीगंगानगर– 95 / 2015 / 333 दिनांक 24/06/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर, जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. सहायक औषधि नियंत्रक, श्रीगंगानगर (राज0) को उनके पत्र कमांक 410–11 दिनांक 14.05..2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. श्री रामपाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर (राज0) केम्प जयपुर को दस्ती देकर निर्देशित किया जाता है कि अपराध प्रमाणित करने योग्य दस्तावेजात एवं गवाह सूची सहित सक्षम न्यायालय में शीघ्र इस्तगासा दायर कर की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत करावें।
4. रक्षित पत्रावली / पी. डेस्क, मु0 / सी–डेस्क मु0 / प्रभारी सर्वर रूम।

24/6/15

(के0 जयवन्त)

कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं

औषधि नियंत्रक

राज0 जयपुर